विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–154/2025
पंजीकरण तिथि–27.10.2025
निर्णय तिथि–08.12.2025

रवि नेगी परिवादी
कुमाऊं कालौनी
दमुवाढुंगा, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरा अकाउंट नं0–42200852197 है जिसका बिल ज्यादा आया है। जिसकी डिस्प्ले वॉश थी लेकिन रीडिंग नहीं आ पा रही थी तो फिर लाइनमैन द्वारा मेरा मीटर बदला। उससे पहले का मेरा बिल कम आ रहा था जब से मेरा मीटर बदला गया उसी के कारण मेरा बहुत ज्यादा बिल आने लगा और जब मेरा मीटर बदला उस समय मेरे मीटर की रीडिंग नहीं दिख रही थी। जो बदलने आए थे वह रीडिंग 50102 लिख कर गए हैं जबकि मीटर की डिस्पले वॉश थी। अतः महोदय से निवेदन करती हूं कि मेरे बिल को ठीक करने की क्रिया की जाए।
2. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 15.11.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता का खराब मापक उनकी शिकायत संख्या–22306250204 के आधार पर विद्युत परीक्षण खण्ड द्वारा बदला गया था तथा उपभोक्ता के पुराने मापक की अंतिम रीडिंग 5102 थी जिसमें 1854 यूनिट बैलेंस की प्रविष्टि सहायक अभियंता (मापक) द्वारा दिनांक 21.07.2025 को की गयी है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 19.11.2025 में कहा गया है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र से मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि दिनांक 09.07.2025 को जब

विभाग द्वारा मेरा मीटर बदला गया था उस पर डिस्पले वॉश था और वह पहले से ही गलत रीडिंग दे रहा था जिसकी शिकायत के उपरान्त उसे बदला गया था। अतः यह कहना कि पुराने मापक की अंतिम रीडिंग 5102 थी जिसमें 1854 यूनिट बैलेंस है, जो कि गलत है। मीटर रीडर द्वारा स्वयं उनको बताया गया था कि मीटर की डिस्पले वॉश है। जिसकी शिकायत वह पूर्व में भी विभाग मे कर चुके थे। महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि मेरा एक कमरा के मकान है जिसमें दो एल0ई0डी0 बल्ब, एक पंखा, एक टी0वी0 है मेरा बिजली का उपयोग भी इतना नहीं है बिल हिस्ट्री में भी मेरी यूनिट 1351, 3511, 2181, 8710, 1231 व 1131 दिखायी गयी है, जबकि मेरी बिजली की खपत इतनी नहीं है और न ही मेरे परिसर में ऐसे विद्युत उपकरण है जो बिजली की इतनी खपत कर सकें। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे मेरा बिल संशोधित कर के दिया जाये ताकि मैं समय से जमा कर सकू। साथ ही यह भी विनती है कि जब तक मेरा वाद चल रहा है तब तक मेरा कनैक्शन न काटा जाये। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और पैरालाइज्ड हूं जो कि चलने फिरने मैं असमर्थ हूं और किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण की रहा हूं। अतः मुझे न्याय दिलाया जाये।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.12.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392E224472729 (विद्युत भार 1 कि0वा0) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट मापक दिनांक 09.07.2025 को लगाया गया। पुराना मापक अंतिम रीडिंग 5102 kwh उतारा गया था, लेकिन उपभोक्ता द्वारा कहा गया कि पुराना मापन खराब था। नये मापक से औसत यूनिट्स के आधार पर पुराने मापन की IDF की 1854 यूनिट्स को संशोधित कर दिया गया हैं अतः शिकायतकर्ता की बिल संबंधित समस्या का समाधान कर दिया गया है।
5. परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत संतुष्टि पत्र दिनांकित 06.12.2025 में कहा गया है कि मेरा नाम रवि नेगी है मै कुमाँऊ कलौनी का निवासी हूँ मेरा कनैक्शन नं0392E6224472729 है। जो मेरा विद्युत विभाग में केस (वाद सं0–154/2025) चल रहा था, जिसका निवारण विद्युत विभाग, मंच द्वारा कर दिया गया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। कृपया ये केस बंद कर दिया।
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक 06.12.2025 को व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—08.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—08.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–158/2025
पंजीकरण तिथिः–07.11.2025
निर्णय की तिथिः– 26.12.2025

बच्ची सिंह चिलवाल, परिवादी
ग्राम–चमोली, तह0 खनस्यू,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि उसका विद्युत कनेक्शन संख्या– **595OP04092476** हैं। महोदय प्रार्थी का मीटर बदलने के बाद आज तक मीटर दर्ज नहीं हुआ है, अतः प्रार्थी का मीटर एवं बिल सुचारु कराने की कृपा करेगें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि श्री बच्ची सिंह को खनस्यू, भीमताल (**592OP04092476**) में लगाये गये कैम्प में प्राप्त शिकायतों (158/2025) के समाधान के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त उपखण्ड कार्यालय भीमताल से उपभोक्ता के मापक में प्राप्त रीडिंग 330 के0वी0एच0 के आधार पर बिल बनाया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल रु0 255.00 मात्र का बना है। सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।
3. उक्त वाद में परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

4. मचं द्वारा पत्राव लीका अ वलोक किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का बिल संशोधित कर मंच में उसकी प्रति प्रस्तुत की गयी है। बिल संशोधन से परिवादी भी संतुष्ट है। अतः परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने पर वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एव परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन क रें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः— 26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1– षमु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–160/2025
पंजीकरण तिथि–07.11.2025
निर्णय तिथि–08.12.2025

राम हिंबर्गली — परिवादी
ग्राम–गलनी, खन्स्यु
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कार पोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरा बिल IDF में आ रहा है। कृपया मेरे बिल व मीटर को सही करने की कृपा करे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 13.11.2025 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार सहायक अभियन्ता(मापक) को पत्र सं0–762/वि0वि0 उप0(भी0) दिनांक 12.11.2025 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। कार्यवाही अपेक्षित है।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 26.11.2025 में कहा गया है कि उक्त प्रकरण पर सहायक अभियन्ता(मापक) द्वारा RAPDRP देहरादून के कार्यालय को सूचित किया गया है। जिसके उपरान्त सहायक अभियन्ता(मापक) से दूरभाष पर खण्ड कार्यालय को अवगत कराया गया है कि RAPDRP देहरादून से संशोधन किये जाने में समय लग रहा है। अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि आख्या देने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का कष्ट करें।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 03.12.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के नये मापक में प्रदर्शित रीडिंग 322 के0डब्लू0एच0 के आधार पर माह 11/2025 तक का बिल संशोधित कर दिया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 2502.00 का बना है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना है।

5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या के निराकरण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद की कार्यवाही आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद् घोषित।

दिनांकः–08.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला– नैनीताल

कोरम 1– विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–167/2025
पंजीकरण तिथिः–12.11.2025
निर्णय की तिथिः– 10.12.2025

मीरा सरदार पत्नी किरन सरदार, परिवादिनी
पता– आर्दश कॉलोनी, दमुवाढुगां हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि कि प्रार्थिनी उपरोक्त नाम पते की निवासी है, जिसका उक्त स्थान पर अपना निजी भवन है, प्रार्थिनी के घर में विद्युत ऊर्जा हेतु एक विद्युत कनेक्शन जिसक कनैक्शन न.–**391E 111382636** है, जो कि लगभग 5 वर्ष पूर्व से लगा हुआ है। प्रार्थिनी विद्युत बिल का भुगतान सदैव नियमानुसार करती आई है, विगत 1 वर्ष पूर्व से प्रार्थिनी का बिल बिना भोग यूनिट **RDF** के अधार पर विगत किए जा रहे थे, कि प्रार्थिनी अपने विद्युत बिल के सही कराने हेतु कई बार सम्बधित विद्युत विभाग के कर्म–चारियों से संपर्क करती रही है, और विद्युत बिल को जमा करने के लिए तत्पर्य रही लेकिन अत्याधिक विद्युत बिल के आ जाने से प्रार्थिनी कमलुवागाँजा उपखण्ड विद्युत वितरण में जाकर बिल का भुगतान करने व उसे ठीक करने गई तो विभाग भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा बिल को ठीक करने के पश्चात् ही जमा करने की सलाह देकर वापस कर दिया, जिसके पश्चात् प्रार्थिनी, हीरा नगर विद्युत वितरण विभाग में गई जहाँ से लाल पेन से विद्युत बिल में रेखाकिंत करते हुए बिल में सुधार करने के पश्चात् बिल का भुगतान करने को कहा गया, वर्तमान समय में भारी भरकम रुपया 16,236/– का बिल आया जो कि गलत है, प्रार्थिनी के नाम पर 1 **KW** का कनेक्शन है, जिस भवन में प्रकाश हेतु २–३ बल्ब जल तेहैं इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम मे 2 पंखे चलाये जाते है, प्रार्थिनी अत्यंत निर्धन व अकेली कमाने वाली महिला है, जो इस गलत धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है; अतः निवेदन है, प्रार्थिनी की शिकायत पर ध्यान देते हुए उसके गलत बिलो की जाँच कर सही बिल निर्गत करने की कृपा करे!

प्रार्थिनी के विरुद्ध विलंभ शुल्क न लगाया जाये क्योंकि प्रार्थिनी सदैव नियमानुसार बिल जमा करती आ रही है।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती मीरा सरदार पत्नी किरन सरदार, पता– आदर्श कॉलोनी, दमुवाढुंगा, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल के द्वारा बिलिंग की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता का बिल संशोधन माह मई में कार्यालय द्वारा कर दिया गया हैं। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर/आपत्ति में कहा गया है कि प्रार्थिनी मीरा सरदार द्वारा अपने गलत बिल के सम्बंध में शिकायत दिनांक– 12/11/2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में दिया गया था, जिसके उपरांत शिकायत पत्र के जबाव में यह बताया गया है कि प्रार्थिनी मीरा सरदार वो गलत बिल में माह मई में संशोधन कर दिया है, परंतु माह मई से पूर्व वर्ष लगभग 2021 से बिल में खराबी होने की जानकारी हीरानगर विद्युत विभाग से प्रार्थिनी को दी गई थी, प्रार्थिनी मीरा सरदार के बार–बार निवेदन करने व मई महीनों तक विद्युत विभाग में धक्के खाने के बाद संसोधन कराया गया होगा, संशोधन के लिए न ही मीटर की जाँच की गई और न ही संशोधन के सम्बध में प्रार्थिनी को अवगत कराया गया। यह कि प्रार्थिनी अत्यंत गरीब व अकेली महिला है, जो इस गलत धनराशि के बिल को जमा करने में असमर्थ है। यह कि प्रार्थिनी को बिल में विलम्ब शुल्क लगाना भी उचित नहीं है, क्योंकि आपके विद्युत विभाग द्वारा ही बिल का भुगतान बिल के संशोधन करने के बाद ही कहा गया था, जिसमे प्रार्थिनी की कोई गलती है, न्यायहित में प्रार्थिनी की परिस्थिति को देखते हुए प्रार्थिनी वो बिल में सन् 2021 यानि जबसे गलत बिल प्रार्थिनी को दिया गया, ठीक किया जाना आवशकीय है।

अतः महोदय से निवेदन है प्रार्थिनी के सन् 2021 से यानि जबसे प्रार्थिनी को गलत बिल दिया गया, उसे पूर्णतः संशोधित कर लम–सम पूर्व बिलो के अनुसार सही–सही विद्युत बिल प्रदान करने की कृपा कर दी जाए।

4. मंच द्वारा सुनवाई के लिए 28.11.2025 की तिथि नियत की गई थी। जिसमें परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी के अनुरोध पर विपक्षी का पक्ष मोबाइल पर सुना गया। परिवादी के अनुसार उसके द्वारा चैक मीटर का शुल्क जमा करने के बाद भी चैक मापक नहीं लगाया गया। मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी संयोजन की तिथि 04.01.2021 से वर्तमान तक के बीजक मासिक औसत आधार पर उचित टैरिफ स्लैब से संशोधित करें साथ ही परिवादी के मीटर की शुद्धता की जांच हेतु चैक मीटर स्थापित कर 06.12.2025 तक विस्तृत आख्या मंच को प्रस्तुत करें, यह भी आदेशित किया गया कि परिवादी द्वारा रुपए 5000/– की अंतरिम राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने पर वाद निस्तारण तक संयोजन विच्छेदित न किया जाये। दिनांक 10.12.2025 को नियत सुनवाई में प्रस्तुत विपक्षी अधिकारी ने मंच को अवगत कराया कि परिवादी के बीजक का आदेशानुसार संशोधन कर दिया गया है एवं संशोधित बीजक राशि (–)12171/– है। अतः परिवादी द्वारा कोई भी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी की शेष राशि आगामी बिलों में समायोजित हो जाएगी।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने के कारण वाद निस्तारित किए जाने योग्य हैं।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 10.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 10.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–168/2025
पंजीकरण तिथिः–18.11.2025
निर्णय की तिथिः– 09.12.2025

विमल चन्द्र लोहनी, परिवादी
पुत्र स्व मोहन चन्द्र लोहनी,
पता–ग्राम ढोलीगांव, तह0 धारी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र में कहा गया किः– प्रार्थी ग्राम ढोलीगाँव, विकास खण्ड ओखलकांडा, तहसील धारी, जनपद नैनीताल का स्थायी निवासी है तथा विगत 20 वर्षों से रोजगार हेतु परिवार सहित रूद्रपुर (उ0सि0 नगर) में निवास कर रहा है।

महोदय यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व में प्रार्थी के पैतृक निवास में विद्युत संयोजन सं० **591QD07072442 (A/c No.40113672015)** लगा था जिसका वर्षों से उपयोग न होने के कारण स्थायी रूप से बन्द करने हेतु समस्त देयको का भुगतान कर तथा **PD** हेतु निर्धारित शुल्क रु0 100.00 (रशीद सं० **3446108081611110001** दिनांक 08.08.2016 प्रति संलग्न) जमा कर संबन्धित अधिकारियों से विद्युत संयोजन सं० **591QD07072442 (A/c No.40113672015)** को स्थायी रूप से बन्द करने हेतु निवेदन किया गया था।

महोदय आज दिनांक 14.11.2025 को पूर्वाहन मेरी पैतृक तहसील धारी से मुझे दूरभाष पर उक्त विद्युत संयोजन के लगभग 8500.00 जमा करने व उसका 10 फीसदी तहसील में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।

महोदय मैं पूर्व में ही विद्युत संयोजन के समस्त देयकों का भुगतान कर चुका हूँ (सुलभ संदर्भ हेतु **Consumer History Sheet** संलग्न है) उसके उपरान्त भी प्रशासन के माध्यम से दूरभाष पर राजस्व वसूली के निर्देशों से मुझे अत्यन्त मानसिक पीड़ा हुई है।

अतः मा0 महोदय से प्रार्थना है कि मेरे विद्युत संयोजन के **PD** होने के उपरान्त उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 की त्रुटि से निर्गत बिलों को निरस्त करवाने तथा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी आजीवन आपका आभारी रहेगा।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि विमल चन्द्र, संयोजन संख्या **591QD07072442** का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके कम में मा० मंच को अवगत कराना है कि दि० 26.11.2025 को रु0 6763.00 का **CCBR adjustment** करने के उपरान्त विद्युत बिल रु० मात्र (745.00) का है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना है। अतः मा० मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।

3. परिवादी द्वारा मंच कार्यालय को ई–मेल भेजकर कहा गया है "वाद सं0 168/2025 के निस्तारण हेतु रुपए 745.00 का भुगतान आज दिनांक 26.11.2025 को रसीद संख्या–**13461261125000204** दिनांक 26.11.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा कर दिया है।"

निम्न निवेदन है–

- संयोजन संख्या–**0590D07072442** के **PD** का **OM** करने तथा सीलिंग सर्टिफिकेट प्रदान करवाने की कृपा करें।
- तहसील को प्रेषित वसूली को वापिस लेकर निरस्त करवाने की कृपा करें।
- वाद पर मंच द्वारा की गई कार्यवाही से में संतुष्ट हूं। मंच द्वारा तत्परता से शिकायत का निस्तारण किये जाने हेतु मंच के सभी मा0 सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं विशेष रूप से मंच के मा0 सदस्य (उपभोक्ता) जिन्होंने शिकायत के त्वरित निस्तारण में सहयोग दिया।

4. विपक्षी/विभाग कहा गया कि मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:–
   1. उपभोक्ता के विद्युत बिल में दि० 26.11.2025 को रु0 6763.00 का **CCBR adjustment** करने के उपरान्त विद्युत बिल रु० मात्र (745.00) का बना है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा कर दिया गया है।
   2. उपभोक्ता द्वारा शेष धनराशि को जमा करने के उपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 1738 दि0 29.11.2025 के माध्यम आदेश पारित किये गये हैं कि उपभोक्ता श्री विमल चन्द्र लोहनी पुत्र श्री मोहन चन्द्र, भीमताल पर कोई भी विद्युत देय शेष नहीं है।
   3. उक्त कार्यालय आदेश संख्या 1738 दि0 29.11.2025 के माध्यम से ही जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को पत्र प्रेषित कर उपभोक्ता को दिये धारा–5 को भी वापस किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
   4. कार्यालय आदेश की प्रति उपभोक्ता को भी सूचनार्थ प्रेषित की गयी है।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 09.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 09.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–169/2025
पंजीकरण तिथिः–18.11.2025
निर्णय की तिथिः– 10.12.2025

मोहम्मद सलमान, परिवादी
पता–नवाड़ खेड़ा, गौलापार हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया किः– मैं, मोहम्मद सलमान, पता नवार खेड़ा, गौलापार हल्द्वानी, उपभोक्ता संख्या 40119096555 द्वारा इससे पहले दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को एक आवेदन पत्र के माध्यम से अपने बिजली बिल में त्रुटि के सुधार हेतु अनुरोध कर चुका हूं। मेरे द्वारा दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज और विवरण के बावजूद, अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही मुझे कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। इस लंबित मामले के कारण मुझे अनावश्यक परेशानी और वित्तीय भुगतान का जोखिम झेलना पड़ रहा है। अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे बिजली बिल में मौजूद त्रुटि की जांच कराकर तत्काल सुधार करने का कष्ट करें और मुझे सही एवं अद्यतन बिल उपलब्ध कराएं। आपसे निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 05.12.2025 को अपने उत्तर पत्र के माध्यम से कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर उपभोक्ता के

बिल 03/2023 से 07/2025 तक **RDF** आधारित बिल निर्मित है, जिस कारण माह 08/2025 में **RDF** के बिलों के यूनिट के अन्तर सहित बिल निर्मित हैं, जिसकी गणना शीट एवं माह 08/2025 में सिस्टम जनरेटेड बिल की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित हैं।

3. मंच में उभय पक्षों की सुनवाई हेतु दिनांक 10.12.2025 की तिथि नियत की गयी। पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी ने सुनवाई हेतु अन्य तिथि की मांग की हालांकि विपक्षी द्वारा पूर्व में ही उत्तर पत्र के साथ स्पष्ट आख्या मय बिलिंग हिस्ट्री एवं गणना सीट प्रस्तुत की जा चुकी है। परिवादी ने सुनवाई में उपस्थिति के नोटिस के जवाब में कहा है कि वह क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित की गयी।

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों मय परिवादी की बिल हिस्ट्री एवं बिल संशोधन गणना शीट का अवलोकन किया गया। बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि नवंबर 2023 के बाद से परिवादी को जुलाई 2025 तक आर0डी0एफ0 के बिल भेजे गये। 24 अगस्त 2025 में विभाग ने मीटर की वास्तविक रीडिंग लेकर बिल संशोधित किया। बिल संशोधन गणना शीट से स्पष्ट है कि बिल की गणना वास्तविक रीडिंग के साथ उचित टैरिफ स्लैब की दर से की गई है, जो कि मंच के मत में सही है किंतु गणना शीट में रुपए 5693 रूपये का विलंब भुगतान अधिभार भी जोड़ा गया है, आर0डी0एफ0 के बिलों के लिए विपक्षी/विभाग जिम्मेदार है। अतः विभाग की गलती के लिए एल0पी0एस0 का भार उपभोक्ता पर नहीं थोपा जा सकता। साथ ही बिल हिस्ट्री में परिवादी द्वारा दिनांक 29.07.2025 को भुगतान की गयी 14125 रूपये की धनराशि संशोधित बीजक गणना शीट में कहीं भी दर्शित नहीं हो रही है। यदि संशोधित बीजक में यह राशि समायोजित नहीं की गई है तो इसे समायोजित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को भेजे गये अगस्त 2025 एवं अक्टूबर 2025 के बीजको में आरोपित विलंब भुगतान अधिभार को हटाते हुए संशोधिन बीजक जारी करें। विपक्षी यह भी सुनिश्चित करें कि संशोधित बीजक गणना शीट में यदि 29.07.2025 को भुगतान की गयी 14125 रूपये की धनराशि का समायोजन नहीं किया गया है तो इस राशि को भी समायोजित करें। परिवाद तद्नुसार निस्तारित। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद

व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 10.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 10.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–170/2025
पंजीकरण तिथिः–20.11.2025
निर्णय की तिथिः– 26.12.2025

पनी राम पुत्र स्व0 हरि राम, परिवादी
ब्यूरा खाम, चांदमारी, काठगोदाम,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि मेरा कनैक्शन संख्या–3815511053661 व खाता सं०–40112651006 जो कि हरि राम पुत्र स्व० तिल राम, ब्यूरा खाम, चांदमारी, हल्द्वानी काठागोदाम, हल्द्वानी के नाम से है। आपको अवगत कराना है कि मार्च में मेरा विद्युत मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगाया गया था परन्तु जब से मेरा स्मार्ट मीटर लगाया गया है तब से मुझे मेरा विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय मैं लगातार पिछले कई माह से विभाग के चक्कर लगा रहा हूं परन्तु न तो मुझे सही बात ही बताई जा रही है और न ही मेरी समस्या का समाधान किया जा रहा है। आज लगभग 8 माह से अधिक का समय हो गया है और मुझे कोई बिल उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि मैं बिल के लिये विभाग के चक्कर काट के थक गया हूं। मेरे द्वारा कई बार मौखिक शिकायत की गयी और थक हार के जब मैनें ऑन लाईन शिकायत माह अगस्त व सितम्बर 2025 में की तब भी मुझे बिल उपलब्ध नहीं हुआ जिसकी **Complaint No.–21809250589** है। महोदय विभाग द्वारा कुछ माह से बिल

नहीं दिया गया जिसकी धनराशि अब बढ़ कर आयेगी तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की है विभाग से ही इसे वसूला जाये क्योंकि विभाग पर भरोसा कर ही हमने स्मार्ट मीटर लगाया और परेशानी का सिलसिला शुरू हुआ। इतने माह से बिल ना मिलने के कारण जमा नहीं हो पाया और अब जो बिल मिलेगा उस पर ब्याज भी विभाग से वसूला जाये। एक सीधे–सादे जनमानस को परेशान करने में विभाग को कुछ ज्यादा ही मजा आता होगा परन्तु उस जनमानस को नहीं आता जो परेशान होता है जो हर जरूरी काम को छोडकर विभागों के चक्कर लगाता है। बड़ी आस से मैं आपके पास आया हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे मेरा विद्युत बिल दिलाया जाये और विभाग के कर्मों की सजा उनसे ही वसूली जाये ताकि भविष्य में भी किसी और को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़ेगा और ये विभाग के लिये एक नजीर भी बन जाये।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में उपभोक्ता के शिकायत के निवारण हेतु मैं० अडानी एनर्जी सौल्यूशन लि० को पत्र प्रेषित किया गया, जिनके द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उपभोक्ता मापक परिवर्तन की प्रविष्टि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 सिस्टम मे कर दिया गया है एवं माह 12/उपभोक्ता का स्मार्ट मापक आधारित सिस्टम निर्मित बिल तैयार होगा।

3. विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या दिनांकित 05.12.2025 को प्रस्तुत की गयी। जिसमें कहा गया कि उपभोक्ता का स्मार्ट मापक आधारित बिल माह 11/2025 निर्मित हुआ है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की जा रही है।

4. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि प्रार्थी का लगभग बिल आठ माह से नहीं बना था. अब दिया है, तो सिर्फ एक माह का क्या प्रार्थी से विद्युत विभाग द्वारा बाकी का बिल नहीं लिया जायेगा या फिर केस की सुनवाई के बाद वसूला जयेगा, इस एक माह के बिल से में सन्तुष्ट नहीं हूँ कृपया करकें प्रार्थी का बिल पूर्ण रूप से निस्तारण किया जाय। आपकी अति कृपा होगी।

5. मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर के बाद का पूरा बिल प्रस्तुत करने को आदेश दिया गया।

6. मंच के आदेश के अनुपालन में विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2025 को अपनी आख्या में कहा गया कि उपभोक्ता का स्मार्ट मापक आधारित संशोधित बिल दि० 11. 02.2025 से 30.11.025 तक निर्मित हुआ है, जिसकी प्रति आपको प्रेषित की जा रही है।

7. मंच द्वारा परिवादी को बिल की प्रति प्रेषित कर आपत्ति/संतुष्टि प्रस्तुत करने का समय दिया गया जिसके अनुपालन में परिवादी द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रार्थी का लगभग आठ माह से बिजली का बिल नही आया था, सिर्फ 1 माह का दिया था प्रार्थी ने आपको सन्तुष्ट नहीं हूँ करके एक प्रार्थना पत्र दिया था। आपने तत्काल संज्ञान लेते हुये नौ माह के बिलों को देने का आदेश जारी किया मैं प्रार्थी को नौ माह का बिल प्राप्त हो चुका है। जिससे प्रार्थी आजीवन अभारी रहेगा अपका बहुत–बहुत धन्यावाद तत्काल संज्ञान लेने को। अतः महोदय से निवेदन कि प्रार्थी आपके तत्काल कार्यवाही से सन्तुष्ट है।

8. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा मंच के निर्देश पर परिवादी की बिल संबंधी शिकायत का निवारण कर दिया गया है, जिससे परिवादी भी संतुष्ट है। अतः वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–172/2025
पंजीकरण तिथिः–01.12.2025
निर्णय की तिथिः–26.12.2025

गौरव गर्ग पुत्र स्व0 राम निवास गर्ग, परिवादी
निवासी नया ग्राम चन्दन सिंह,
तह0 कालाढूंगी, जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायत में कहा गया है कि प्रार्थी की फर्म श्री राम आईस फैक्ट्री नया गाँव चन्दन सिंह कालाढूंगी जिला नैनीताल में स्थित है। महोदय प्रार्थी अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक 4 गुना ऑवर लोर्ड चार्ज व 4 गुना फिक्स डिमाड चार्ज बिजली विभाग द्वारा प्रार्थी को बिना कोई सूचना मिले, अपनी मनमानी करते हुए प्रार्थी के बिजली के बिल में जोड़े गये है, जब कि प्रार्थी 5 वर्षों से उक्त बिजली का बिल अदा कर रहा था जिसमें कोई ज्यादा/ऑवर लोर्ड चार्ज व फिक्स डिमाड चार्ज नहीं आ रहा था। इसके बाद प्रार्थी विद्युत विभाग रामनगर में गये थे जहाँ पर प्रार्थी ने उक्त चार्ज की बात की तो विद्युत विभाग वालों ने कहा कि अब नये नियम लागू हो गये जिसकी वजह से 4 गुना चार्ज व फिक्स डिमाड चार्ज आ रहा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते है। फिर प्रार्थी ने उत्तराखण्ड सी०एम० पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करी परन्तु वहा भी प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई। महोदय प्रार्थी इन उक्त बिजली के चार्जस से बहुत परेशान है, व उक्त बिजली के बिल को जमा करने में प्रार्थी को बहुत परेशानी हो रही है। उक्त बिजली के कनैक्शन की सं0–**RR0K000030066** यह है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी शिकायत दर्ज कर उक्त बिजली के कनैक्शन के चार्जस कम या हटाये जाये जिससे प्रार्थी बिजली के बिल को जमा कर सके व विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी को बार–बार बिजली के बिल को जमा करने के लिए परेशान न, करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकृत 75 कि०वा० से अधिक भार उपभोग किया जा रहा है। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 3260/यू.पी.सी.एल/आर.एम./सी–21/दिनांक 05/05/2025 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार " (Directives issued by Hon'ble UERC vide Tariff Order dated 11.04.2025) 8.2.16: LT Industry Consumers availing higher demand "The commission directs that any LT Industrial consumer with a sanctioned load ≤75 KW shall be required to pay demand charges as applicable to HT Industrial consumers on the entire recorded demand] for the billing month in which the consumer's recorded demand exceeds 100 kVA. Also] accordingly] the said demand charges shall now be applicable for calculation of excess load/demand penalty as per the provisions of the Supply Code.(Refer para 6.1.3.3) रहा है। अतः मा० फोरम को अवगत कराना है कि नियमानुसार ही उपभेक्ता के बिलों अतिरिक्त डीमान्ड चार्ज लगाया जा रहा हैं।

3. परिवादी द्वारा अपने आपत्ति पत्र में कहा गया है कि आपके पत्रांक सं0 798 के परिपेक्ष में हमारी आपत्ति/संतुष्टि चाही गई है। जिसमें मेरे द्वारा एक शिकायती पत्र आपके माध्याम से विद्युत वितरण खण्ड उततराखण्ड पावर कारर्पोरेशन लि० रामनगर के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसमें विद्युत विभाग के द्वारा प्रार्थी की फर्म श्री राम आईस फैक्ट्री, नया गाँव, चन्दन सिंह कालाढूँगी जिला नैनीताल के ऊपर अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक 4 गुना ओवर लोड का फिक्स चार्ज डाला गया, जो कि नियम विरूद्ध है। क्योकि प्रार्थी को उस बडे हुए फिक्स डिमाण्ड चार्ज की कोई जानकारी नही थी, और न ही विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी से प्रार्थी को अवगत कराया गया था। जबकि उक्त लोड के बडे हुए चार्ज की जानकारी विभाग द्वारा अवगत कराया जाता तो प्रार्थी की फर्म उस फिक्सचार्ज को विवेक पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करता, किन्तु कभी भी विभाग द्वारा उस बडे फिक्स चार्ज की जानकारी नहीं दी और जानकारी न होने के कारण प्रार्थी/फर्म उस बडे फिक्स चार्ज को देने में असमर्थ है। अतः महोदय प्रार्थी/फर्म को उस 4 गुना बडे फिक्स चार्ज ओवर लोड चार्ज को देने में अपनी आसर्मथता व अपत्ति प्रस्तुत करता है। प्रार्थी को उक्त फिक्स चार्ज को माफ कर भवष्यि में बडे फिक्स चार्ज व ओवर लोड चार्ज को देने में अपनी सहमति प्रदान करेगा। आपकी अति कृपा होगी।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी के बीजकों में लगाया गया डिमांड पेनाल्टी चार्ज माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के

टैरिफ ऑर्डर के अधीन है जिसे समाप्त कराया जाना इस मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–173/2025
पंजीकरण तिथिः–02.12.2025
निर्णय की तिथिः– 26.12.2025

अनन्त वर्मा पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द्र वर्मा, परिवादी
पता–साहूकारा लाइन, नैनीताल रोड़,
हल्द्वानी जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि कमर्शियल विद्युत संयोजन संख्या **386NA5C094678** जो मेरे पिताजी स्व० श्री जगदीश चन्द्र वर्मा के नाम पर चल रहा है। वर्तमान में भी उन्हीं के नाम से चल रहा है। जो माह जनवरी 2025 से उपयोग में नहीं है, सड़क चौड़ीकरण अभियान के अन्तर्गत मेरी दुकान का प्रशासन के निर्देशानुसार ध्वस्त कर नवीनीकरण कराया गया है। दुकान बन्द होने के कारण बिजली का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा मुझे अत्यधिक बिल जारी किया गया है। जो कि पूर्णतः गलत अनुचित तथा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बार–बार शिकायत करने के बाद भी विभाग द्वारा मेरी समस्या का समाधान नहीं किया गया।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे बिजली के बिल की पुनः जाँच कराते हुये अतिरिक्त राशि को पूर्णतः निरस्त किया जाये।

इसके साथ में अपने समर्थन में दस्ता जो संलग्न कर रहा हूँ।

संलग्नकः
1. बिजली बिल की छायाप्रति ।
2. दुकान बन्द होने का प्रमाण।
3. पूर्व में की गई शिकायत का आवेदन पत्र की छायाप्रति ।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।

2. पक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र (15.12.2025) में कहा गया है कि **MRI** रिपोर्ट में मापक की रीडिंग माह 01/2025 में जंप प्रतीत हो रही है इसके उपरांत बिल को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रुपए 29732.00 है।

3. दिनांक 26.12.2025 को दोनों पक्ष सुनवाई के लिए मंच के समक्ष उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं **MRI** रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। **MRI** रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मीटर जंप हुआ है, जिसे विपक्षी ने भी स्वीकार किया है। परिवादी का कहना है कि जनवरी 2025 में लाइनमैन द्वारा उसका मीटर उतार दिया गया था जो विभाग में जमा है। विपक्षी का कहना है कि मीटर देर से जमा कराया गया। हिस्ट्री से स्पष्ट होता है कि मीटर रीडिंग दिसंबर 2024 तक सही है किंतु अगस्त 2025 में बना बिल मीटर जंप पर बना है जिसे विपक्षी ने **MRI** के बाद आई0डी0एफ0 मानते हुए संशोधित किया है। जनवरी के बाद से मीटर परिवादी के परिसर पर स्थापित ही नहीं था तो उक्त अवधि में आई0डी0एफ0 मानकर औसत खपत का लिया दिया जाना उचित नहीं है। 27 मार्च 2025 को जारी रुपए 9667.00 के बीजक का भुगतान परिवादी द्वारा किया जा चुका है। अर्थात 27 मार्च 2025 तक कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में 27 मार्च 2025 से वर्तमान तक का बिल शून्य खपत पर बनाते हुए परिवादी को फाईनल बिल दिया जाना न्यायोचित होगा। परिवादी द्वारा कहा गया कि उसने पी0डी0 शुल्क भी जमा कर दिया गया है अतः कनेक्शन पी0डी0 कर लिया जाये।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी को 27.03.2025 के बाद भेजे गये समस्त बीजको को निरस्त किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि 28 मार्च 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक शून्य खपत का बिल बनाते हुए परिवादी को फाईनल बिल के रूप में हस्तगत किया जाए। फाइनल बिल का भुगतान करने पर यदि परिवादी पी0डी0 शुल्क की रसीद विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत करता है तो कनैक्शन को स्थाई विच्छेदित किया जाये। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,

80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में लिखित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

समक्ष 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–176/2025
पंजीकरण तिथिः–18.11.2025
निर्णय की तिथिः– 10.12.2025

मै0 इंडस टावर लि0, परिवादी
रेलवे बाजार हल्द्वानी,
जि0– नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायत पत्र में कहा गया है कि We have permanent electric connection having account No. 40116952752, 15KW connected load in the name of Indus Towers limited at location-Railway Bazar under EDD HALDWANI TOWN Division.
Issued bill for the month of Sep-25 in which abnormal maximum demand for 38KW shown & wrongly excess demand charge levied for the unjustified amount Rs. 5060/Our connected load was never exceed beyond the connected load. We have multiple times approach to division for correction of wrongly excess demand charge but neither bill is corrected, nor MRI report is providing to us.
Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.
Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be

claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed by the Discom.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा माह 09/2025 के बिल में 15 कि0वाट का संयोजन के सापेक्ष 38 कि0वाट एम0डी0 आने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के एम0आर0आई0 की जाँच करने पर उक्त माह में 38 कि0वाट एम0डी0 है, जिसके अनुसार उपभोक्ता का बिल निर्मित है (एम0आर0आई0 की प्रति संलग्न)।
इस सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित पत्र का प्रतिउत्तर एवं एम0आर0आई0 शीट इस कार्यालय के पत्रांक 5120 दिनांक 22.11.2025 द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है।
3. दिनांक 10.12.2025 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गयी। उभय पक्ष सुनवाई में अनुपस्थित रहे। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी के मापक की **MRI** रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सितंबर 2025 के बिल में परिवादी की अधिकतम मांग 38 कि0वा0 **MRI** के आधार पर एकदम सही है तथा वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 10.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 10.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

फोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–177/2025 ।
पंजीकरण तिथिः–04.12.2025
निर्णय की तिथिः– 26.12.2025

मै0 इंडस टावर लि0, परिवादी
महेश नगर, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- We have permanent electric connection having account No- 40114766544, 22KW connected load in the name of Indus Towers limited at location- Mahesh Nagar under EDD Haldwani Town Division.

Issued bill for the month of Oct-25 from 31-Aug-25 to 31-Oct-25 in which abnormal 110666 units consumption shown and bill raised for the amount Rs-884956/-. Such huge consumption is not possible in any condition for 22KW connection for 2 months. Whenever energy meter was functioning correctly average monthly consumption was 6145 Units.

From	To	Total MU base billed units
31.Dec.24	28.Feb.25	7572
28.Feb.25	31.Mar.25	8609

31.Mar.25	30.Apr.25	8402
Total consumed units		24583
Monthly average units		6145

We have multiple times approach to division for correction of bills, but no response is received. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Kindly instruct to the concern division for don't disconnection of supply until hearing doesn't complete of this case.

Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bills also issuing hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के कन्जूमर हिस्ट्री के अनुसार माह 10/2025 में स्मार्ट मापक परिवर्तित, हुआ, जिसमें पुराने मापक की यूनिट 109515 एवं नये मापक की यूनिट के अनुसार बिल निर्मित है, जिसमें उपभोक्ता के मापक की पुरानी रीडिंग 281804/284998 उपभोक्ता को निर्गत सीलिंग (27.10.2025) के अनुसार है। उपभोक्ता हिस्ट्री एवं सीलिंग की प्रति प्रेषित है।
3. प वादी द्वारा अपनी आपत्ति में कहा गया है कि Sir We object & our reply is furnished as below. As per billing history and it come to notice that meter was jumped earlier also in Jun-23 and now in the month of Oct.25 billing. In Oct.25 total 110667 units consumption has shown for 1 month which is not justified. If it is the case of reading accumulation then first of all meter should be test in LAB to ascertain the month by month consumption from the installation of the meter then if any shortall found in billing vs actual consumption during the month then a proper notice should be served to consumer with detail and for consumer consent on it. While debit of such amount directly in bill without any information is not valid. Such negligence has performed by the UPCL staff hence consumer can't be make responsible and suddenly serving such huge amount bill is harassment to consumer.
As per our nature of business we can't claim more than 6 month arrear towards electricity from our tenant hence this disputed bill need to be quash and fresh bill need to be raised as per average 3 month consumption prior of this disputed month & no any late payment surcharges can be claim from us.

4. दिनांक 26.12.2025 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गई। परिवादी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी प्रभारी सहायक अभियंता (राजस्व) उपस्थित। विपक्षी द्वारा पत्रावली की बिलिंग हिस्ट्री, मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र प्रश्नगत मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपरोक्त का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि विपक्षी ने परिवादी को पुराने एवं नए दोनों मीटरो की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल प्रेषित किये हैं। वास्तविक रीडिंग के बिलों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

पत्रावली का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202511140001
पंजीकरण तिथिः–14.11.2025
निर्णय की तिथिः– 26.12.2025

अमर सिंह, परिवादी
लालडांट रोड़,
नियर तारा टेंट हाउस,
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि Bill is showing RDF since long time Not reflecting proper bill amount,

2. दिनांक 26.12.2025 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गयी। विपक्षी/विभाग द्वारा बताया गया कि परिवादी का आर0डी0एफ0 बीजक वास्तविक मीटर रीडिंग 8061 KWH पर संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के बाद बीजक ऋणात्मक (–35835.00) हो गया हैं। अतः परिवादी द्वारा कोई भी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी की शेष राशि आगामी बिलों में समायोजित हो जाएगी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया

है। परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने के कारण वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः—26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद सख्या–04202511190001
पंजीकरण तिथि–19.11.2025
निर्णय तिथि–08.12.2025

कमलेश त्रिपाठी
सी0ए0–49
नियर जन मिलन केन्द्र
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा **CGRF- Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा है कि "नवम्बर का बिल अभी तक जनरेट नहीं हुआ। क्या कारण है।"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायत में वर्णित विद्युत संयोजन खाता सं0–42100769373 (संयोजन सं0 392J225148130) कि श्री कमलेश त्रिपाठी पुत्र श्री त्रिनेत्र प्रसाद के नाम पर इस उपखण्ड के कार्यक्षेत्रान्तर्गत जजफार्म, सी0ए0–49, निकट जनमिलन केन्द्र, हल्द्वानी में संयोजित है, संयोजन में दि० 08.02.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित हुआ था। उपभोक्ता का माह 10/2025 तक बिल जनरेट हुआ है तथा बिल का भुगतान भी हो चुका है। स्मार्ट मीटर स्थापित हुए उपभोक्ताओं के माह 11/2025 के बिल जनरेंशन की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से मुख्यालय स्तर से रूकी हुई है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 06.12.2025 में कहा गया है कि "**Ok bill hv been generated.**"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक

06.12.2025 को ईमेल के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—08.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—08 / 12 / 2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202511260001
पंजीकरण तिथिः–26.11.2025
निर्णय की तिथिः– 26.12.2025

सुहैब अंसारी पुत्र सगीर अहमद, परिवादी
पता–ताज मस्जिद के पास,
उत्तरी खताड़ी, रामनगर रेंज, रामनगर
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि गलत बिलिंग, गलत बकाया जोड़ने, गलत ब्याज (LPS) लगाने, एवं उपभोक्ता को अत्यधिक आर्थिक हानि पहुँचाने वाले विभागीय कदाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और संपूर्ण बिल संशोधन/री–कंसिलिएशन हेतु शिकायत।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या **RR2B150027690** का विश्लेषण करने पर ज्ञॉत हुआ है कि 07.12.2024–07.01.2025 तक के बिल की भुगतान राशि रू0 1636.41 किया जाना था जिसमें **ASD Installment** रू0171.00 है। परन्तु उपभोक्ता द्वारा अपने पत्र के माध्यम से बिन्दु संख्या 02 के अनुसार बिल भुगतान रू0 1465.00 किया गया है, तथा माह फरवरी 2025 हेतु बिल तिथि 07.01.2025–13.02.2025 तक का बिल रू0 1539.33 है। जिसमे एल०पी०एस० रूपये 18.31 एवं **ASD Installment** रू0 342.00 मिलाकर कुल धनराशि रू0 1900.00

जमा होना है, जैसा कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत कि ग है कि उनके द्वारा माह 07.12.2024–07.01.2025 के बिल का भुगतान करने के उपरान्त भी एल०पी०एस० जोड़ना बताया गया है। उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त अवधि के बिल की जमा कर की देय तिथि 22.01.2025 थी, परन्तु उपभोक्ता द्वारा उक्त बिल का भुगतान 04 फरवरी 2025 को की गयी है। जिस कारण उपभोक्ता के 07.01.2025–13.02.2025 तक के बिल में एल०पी०एस० रू0 18.31 जोड़ा गया है। शेष माहो में निर्गत बिलो में वास्तविक विद्युत खपत एवं नियामानुसार बिल निर्गत किये गये है, जोकि सही है। जिसका अवलोकन हेतु माह जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक के बिल संलग्न है।

3. परिवादी अपनी आपत्ति में कहा गया है कि वाद के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के विरुद्ध अपना प्रत्युत्तर (**Rejoinder**) नियत तिथि तक प्रस्तुत न कर पाने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मुझे यह गलतफहमी थी कि प्रत्युत्तर रात्रि 11:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है, इसी कारण अनजाने में विलंब हो गया। यह विलंब पूर्णतः अनैच्छिक एवं परिस्थितिजन्य है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दिनांक 04.02.2025 को विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित **Total Due** राशि ₹1465/– को मैंने पूर्ण रूप से जमा कर दिया था। उस समय पोर्टल पर कोई अतिरिक्त बकाया अथवा **ASD/**भविष्य समायोजन की स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित नहीं थी। इसके उपरांत ₹1900/– का बिल निर्गत हुआ, जिसमें पूर्व अवधि का बकाया एवं अन्य शुल्क जोड़े गए, जिसकी स्पष्ट सूचना मुझे पूर्व में नहीं दी गई। इस भ्रमपूर्ण स्थिति के कारण मुझ पर **Late Payment Surcharge** (**LPS**) तथा अन्य अतिरिक्त भार आरोपित होता चला गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में अत्यधिक राशि (₹12,000/– से अधिक) दर्शित हो रही है, जिसे एकमुश्त भुगतान करना मेरे लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है। मूल उद्देश्य मंच से सादर अनुरोध है कि–

   1. विभागीय बिलिंग में उत्पन्न भ्रम एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए **Late Payment Surcharge** (LPS) को पूर्णतः हटाया जाए।
   2. वास्तविक देय राशि के संबंध में उपभोक्ता हित में उचित राहत प्रदान की जाए।
   3. मेरे विलंब से प्रस्तुत प्रत्युत्तर को न्यायहित में स्वीकार किया जाए। मैं माननीय मंच को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूँ तथा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सुनवाई (**Personal Hearing**) हेतु उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ।

4. दिनांक 26.12.2025 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे, जबकि विपक्षी उपखंड अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने परिवादी की बिल हिस्ट्री, लेजर की प्रति एवं अतिरिक्त जमानत राशि संबंधी नियम की प्रति प्रस्तुत की।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बिल हिस्ट्री एव लैजर से स्पष्ट है कि देर से बिल भुगतान के कारण परिवादी के बिल में लगाया गया **LPS** नियमानुसार सही है। साथ ही ADS की राशि भी विनियम क अनुसार ही जोड़ी गई है। अतः यह मंच परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है तथा वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–26.12.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)